ईसीआई ने 4 राज्यों के लगभग 350 बीएलओ को प्रशिक्षण दिया'

नई दिल्ली/बांसवाड़ा ■ सूत्र

नई दिल्ली स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में बूथ लेवल अधिकारी पर्यवेक्षकों के लिए सातवें बैच का प्रशिक्षण मंगलवार को प्रारंभ हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षक और निर्वाचक नामांकन अधिकारी शामिल हैं।

कुल 353 क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों (उत्तर प्रदेश से 101, उत्तराखंड से 82, राजस्थान से 83 और हिमाचल प्रदेश से 84) ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही, पिछले दो महीनों में ईसीआई द्वारा नई दिल्ली में 3,350 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उक्त प्रशिक्षण में बांसवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ इन्द्रजीत यादव ने भी भाग लिया।

उन्होंने अपने उद्बोधन भाषण में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं ताकि चुनावों का संचालन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिभागी इस प्रशिक्षण के माध्यम से अंतिम निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के बाद की प्रथम और द्वितीय अपील की प्रक्रियाओं से भी अवगत होंगे, जो क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष (धारा 24(क), आरपी अधिनियम 1950) और राज्यसभा चुनाव क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (धारा 24(छ)) दायर की जाती हैं। सीईसी ने ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर पर्यवेक्षकों को यह भी प्रोत्साहित किया कि वे मतदाताओं को इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें।

यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद 6 से 10 जनवरी 2025 तक किसी भी प्रकार की अपील दर्ज नहीं की गई।

यह प्रशिक्षण विशेष रूप से प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों का संचालन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय क्रियान्वयन जैसे पहलू शामिल हैं। प्रतिभागियों को आईटी उपकरणों पर भी व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट्स की तकनीकी जानकारी और मॉक पोल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

CS Scanned with CamScanner

ईसीआई ने 4 राज्यों के लगभग 350 बीएलओ को दिया प्रशिक्षण

आत्मा की ज्वाला डूंगरपुर।

नई दिल्ली स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में बूथ लेवल अधिकारी पर्यवेक्षकों के लिए सातवें बैच का प्रशिक्षण आज प्रारंभ हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पर्यवेक्षक और निर्वाचक नामांकन अधिकारी शामिल हैं। कुल 353 क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों (उत्तर प्रदेश से 101, उत्तराखंड से 82, राजस्थान से 83 और हिमाचल प्रदेश से 84) ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही, पिछले दो महीनों में ईसीआई द्वारा नई दिल्ली में 3,350 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं ताकि चुनावों का संचालन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मतदाता पंजीकरण नियम 1960 चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिभागी इस प्रशिक्षण के माध्यम से अंतिम निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के बाद की प्रथम और द्वितीय अपील की प्रक्रियाओं से भी अवगत होंगे, जो क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष (धारा 24(क), आरपी अधिनियम 1950) और राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (धारा 24(ख)) दायर की जाती हैं। सीईसी ने पर्यवेक्षकों को यह भी प्रोत्साहित किया कि वे मतदाताओं को इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें।

यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद 6 से 10 जनवरी 2025 तक किसी भी प्रकार की अपील दर्ज नहीं की गई। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों का संचालन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय क्रियान्वयन जैसे पहलू शामिल हैं।

प्रतिभागियों को आईटी उपकरणों पर भी व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट्स की तकनीकी जानकारी और मॉक पोल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा.

ईसीआई ने चार राज्यों के 350 बीएलओ को दिया विशेष प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में चुनावी नियमों, तकनीकी उपकरणों और अपील प्रक्रियाओं पर जोर

बारां/नई दिल्ली, 27 मई (हाड़ौती संचार ब्यूरो)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के तत्वावधान में भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और पर्यवेक्षकों के लिए सातवें बैच का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुल 353 निर्वाचन अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और चुनाव संचालन नियम 1961 के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के बाद की प्रथम व द्वितीय अपील प्रक्रिया की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे वे मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकें। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को मतदाता पंजीकरण, विभिन्न फर्मों के संचालन, ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी जानकारी के साथ-साथ मॉक पोल का भी अभ्यास कराया जा रहा है। इसके अलावा, उन्हें आधुनिक आईटी उपकरणों के उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि चारों राज्यों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद 6 से 10 जनवरी 2025 तक किसी भी प्रकार की अपील दर्ज नहीं की गई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचक नामावली की प्रक्रिया प्रभावी रही है। ईसीआई द्वारा पिछले दो महीनों में 3,350 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिससे यह प्रयास देशभर में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है।

ईसीआई ने चार राज्यों के लगभग 350 बीएलओ को दिया प्रशिक्षण

न्यूज सर्विस/नवज्योति, बूंदी।

भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षकों और निर्वाचक नामांकन अधिकारियों के लिए एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। नई दिल्ली स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान आईआईआईडीइएम में सोमवार को सातवें बैच का प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ।

कुल 353 क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों उत्तर प्रदेश से 101, उत्तराखंड से 82, राजस्थान से 83 और हिमाचल प्रदेश से 84 ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का

मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और ईसीआई द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुरूप चुनावों के संचालन के लिए तैयार करना है।

उन्होंने कहा कि प्रतिभागी इस प्रशिक्षण के माध्यम से अंतिम निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के बाद की प्रथम और द्वितीय अपील की प्रक्रियाओं से भी अवगत होंगे। सीईसी ने बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को इन प्रावधानों के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष रूप से प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों का संचालन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को आईटी उपकरणों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ-साथ ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी जानकारी और मॉक पोल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

ग्रीष्मावकाश वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर 2 जून से

न्यूज सर्विस/नवज्योति, बूंदी।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा ब्लॉक तालेड़ा, जिला बूंदी में सत्र 2025 के ग्रीष्मावकाश में छात्र- छात्राओं के लिए 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर 2 जून से 16 जून तक चलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय ने बताया कि इस शिविर में कक्षा 6 से 11 तक के नियमित विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, जिनकी आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से कम हों। उन्होंने बताया कि इच्छुक छात्र-छात्राएं 31 मई को प्रातः 9 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मीपुरा, ब्लॉक तालेड़ा, जिला बूंदी में अपनी योग्यता संबंधी फॉर्म की दो प्रतियां, आधार कार्ड एवं मय फोटो और जन्मतिथि अंकित मार्कशीट के साथ उपस्थित हो सकते हैं।